सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वादपत्र संख्या –74 / 2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. सीताराम पुत्र हजारी जाति कुमावत
2. रामनिवास पुत्र हजारी जाति कुमावत

निवासीगण उम्मेदपुरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 30.05.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प सलारी में पेश हुई। वादीगण / प्रतिवादी उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है–

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वाद ग्रस्त भूमि वाके ग्राम सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 476 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 749, 773, 778, 793, 794, 800, 803, 804 किता 8 कुल रकबा 0.68 है. भूमि वादीगण के नाम सह खातेदार दर्ज है एवं वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है जिस पर अन्य किसी दीगर व्यक्ति का किसी प्रकार का वास्ता व सरोकार, हक अधिकार नही है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का सीमाज्ञान करवाया परन्तु पडोसी खातेदार आये दिन सीमा चिन्हों को हटा देते है व वादीगण की भूमि पर अतिक्रमण करने की चेष्ठा करते रहते है जिससे मौके पर आपस में विवाद होता है जिसके कारण यह वाद प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली आज दिनांक 30.05.2018 को न्याय आपके द्वार केम्प सलारी पेश हुई जहां वादी व प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार का जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाब अनुसार वादवर्णित भूमि वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है एवं वादीगणों की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी की जाती है तो इसमें राजहित प्रभावित नही होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत जवाब सरकार का अवलोकन किया। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उक्त आराजी वादीगण की स्वयं की खातेदारी होने से वादी का वाद प्राईमाफेसाई केस होना पाया जाता है एवं वादपत्र का संतुलन वादीगण के पक्ष में होना पाया जाता है।

अतः वादीगण का दावा वाके ग्राम सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 476 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 749, 773, 778, 793, 794, 800, 803, 804 किता 8 कुल रकबा 0.68 है. भूमि का पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार केकड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी की नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर पत्थरगढी की जाकर मौका रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 30.05.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व निर्णय केम्प कोर्ट सलारी में मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी